न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 45/2022
जीसीएमएस : 2022/548

01. मलकीतसिंह पुत्र श्री जोगेन्द्रसिंह जाति रामदासिया साकिन करड़वाली (8एनपी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज। —:प्रार्थी

बनाम

1. देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री बृजलाल साकिन 5 एमसडी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:—28.11.2022

उपस्थितः 1.श्री गुरप्रतापसिंह प्रार्थी अधि.।
2. एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी।

——निर्णय——

दिनांक 21.03.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी जोत वाके चक 5 एमएसडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के मु.नं. 27 पं.नं. 159/341 में 2.709 है कमाण्ड भूमि में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज है व प्रार्थी का अपने हिस्सा की कृषि भूमि कब्जा काश्त में है। उक्त खातेदार अप्रार्थी की चक 5 एमएसडी के मु.नं. 26 पं.नं. 158/314 कि.नं. 13/2 में 0.202, 14 सालम, 15/1 में 0.190 है., 16/1 में 0.190, 17 ता 20 सालम, 21/2 में .203 है., 22/2 से 25/2 प्रत्येक में 0.228 है. इस प्रकार कुल 2.962है. कमाण्ड भूमि के कि.नं. 21 में से पश्चिमी दिशा में मु.नं. 27 के कि.नं. 25 में जाने के लिए रेलवे पटरी के साथ—साथ रेलवे भूमि को छोड़कर तिरछा रास्ता 2 बिस्वा स्वीकृत करवाना चाहता है क्योंकि प्रार्थी के मु.नं. 27 में पड़ने वाली कृषि भूमि में प्रार्थी के लिए आने—जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है, पास में रेलवे की भूमि है, जिनमें पत्थर इत्यादि पड़े है, जिससें आने—जाने का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए रेलवे भूमि को छोड़कर तिरछा रास्ता प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिए अप्रार्थी की भूमि में से चाहिए। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार राजस्व को भू धारक होने के कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी कृषि जोत 5 एमएसडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के मु.नं. 27 पं. नं. 159/341 में 2.709 है. कमाण्ड में काश्त करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त [illegible] होने के कारण उनके नाम से दर्ज भूमि अप्रार्थी की चक 5 एमएसडी के मु. नं. 26 पं.नं. 158/341 के कि.नं. 13/2 में 0.202, 14 सालम, 15/1 में 0.190 है., 16/1 में 0.190, 17 ता 20 सालम, 21/2 में 0.203 है., 22/2 से 25/2 प्रत्येक में 0.228 है. इस प्रकार कुल 2.962 है. कमाण्ड भूमि के कि.नं. 21 में से पश्चिमी दिशा में मु.नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.26 16:47:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

27 के कि.नं. 25 में जाने के लिए रेलवे पटरी के साथ-साथ रेलवे भूमि को छोड़कर 2 बिस्वा तिरछा रास्ता स्वीकृत किया जावे उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि को काश्त करने के अन्य मार्ग का अभाव है, प्रार्थी के पास अपनी भूमि जोत के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ते का अभाव है, चाहा गया रास्ता अतिआवश्यक है ये केवल मात्र प्रार्थी की सुविधा के लिए नहीं है उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में रास्ता को विधिवत स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी की तामिल रजि. नोटिस होने के उपरान्त न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/235 दिनांक 07.03.2024 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी के नाम चक 5 एमएसडी के खाता संख्या 17 पं.नं. 159/341 मु.नं. 27 रकबा 2.709 हे. खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें आवागमन हेतु स्वीकृतशुद्धा रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण मु.नं. 26 के कि.नं. 21 में से पश्चिमी दिशा में दो बिस्वा तिरछा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा की गई रास्ता की मांग आत्यांतिक आवश्यकता की श्रेणी में आती है। प्रार्थी द्वारा रास्ते की मांग स्वयं की सुविधा के लिए की गई। प्रार्थी को उनकी भूमि मे प्रवेश हेतु उक्त चाहा गया रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है इसके अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग चक 5 एमएसडी के मु.नं. 21 (दक्षिणी-पश्चिम कॉर्नर) रेलवे लाईन की भूमि के पास-पास लगभग 8.5 इन्टू 16.5 फुट अर्थात 01 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

4. अप्रार्थी की दिनांक 02.04.2024 को प्रार्थना पत्र आ. 1 नि. 10(2) एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 05.04.2024 को न्यायहित में स्वीकार किया गया। प्रार्थी मलकीतसिंह के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आ.1 नि.10(2) एवं धारा 151 सीपीसी पेश किया गया, जो दिनांक 19.12.2024 को स्वीकार किया गया। जो शामिल मिसल किये गये।

5. बहस वकील प्रार्थी की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौराया एवं कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि में आने-जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है रास्ते के बदले प्रार्थी राज्य सरकार के नियमानुसार राशि का भुगतान भी कर सकता है। तहसीलदार रायसिंहनगर की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट भी किया गया है कि प्रार्थी के खेत में आने-जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रायसिंहनगर को गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

6. हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर नायब तहसीलदार व तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.26 16:47:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि रास्ता स्वीकृत करने की अनुशषां की है। स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। प्रार्थी को अपनी भूमि में प्रवेश के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग अतिआवश्यक है और प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग स्वयं की सुविधा मात्र के नहीं है। उक्त वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है अतः प्रार्थना पत्र 251 क प्रार्थी का स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर **चक 5 एमएसडी के मु.नं. 26 (दक्षिणी–पश्चिम कॉर्नर) कि.नं. 21 में रेलवे लाईन की भूमि के पास–पास लगभग 8.5 इन्टू 16.5 फुट अर्थात 01 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।** अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी से डीएलसी दर की दुगुनी राशि जाम करवाये। इस के उपरान्त ही गैरमुमकिन रास्ता कायम करे एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एवं मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 21.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.26 16:47:39 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner